Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

विज्ञापन क्रमांक3164/3052(2)/वि–3/ग्रा.यां.सेवा/2017/रायपुर, दिनाँक24/06/2017

आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.07.2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत् ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में **वाहन चालक** के रिक्त **17 पदों** के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग
1	कुल रिक्त पद	8	1	8	0	17
2	मुक्त	7	1	7	0	15
3	भूतपूर्व सैनिक (10%)	1	0	1	0	2

" पदों की संख्या परिवर्तनीय है"

(2) पदों का विवरण :–

(अ) सेवा श्रेणी:–वाहन चालक – तृतीय श्रेणी

(ब) वेतनमान :–रुपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 इसके अतिरिक्त राज्य .शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते।

(स) आवश्यक शैक्षणिक अर्हता:–कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा लाईट मोटर व्हीकल का वैध ड्रायविंग लायसेंस एवं आँख की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए।

टीप:– छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3, दिनाँक 27.09.2014 अनुसार वाहन चालक के लिए नि:शक्तता अमान्य किया गया है।

(3) पात्रता की शर्तें :–

(अ) – आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

(ब) – आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक के पास सभी वांछित अर्हता पूर्ण हो।

(4) आयु सीमाः–दिनाँक 01.01.2017 को न्यूनतम् आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम् आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2015/1–3, दिनांक 23.01.2017 अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम् आयु सीमा में 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट एवं आयु सीमा में अन्य छूट राज्य शासन के प्रचलित नियम अनुसार होगी किन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3, दिनाँक 16.09.2008 के कंडिका–3(द) अनुसार सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5.) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के अधीन कार्यरत् शासकीय/अर्धशासकीय आवेदक आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सीधे भेज सकते है, परन्तु इसके तुरन्त पश्चात्· उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण पत्र **आवेदन करने की अंतिम तिथि** तक सीधे विभाग को भेजने के लिए निवेदन भी कर देना चाहिए, जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् यदि विभाग को **आवेदन करने की अंतिम तिथि** तक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विभाग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं है।

(6). चयन प्रक्रियाः–

(i) वाहन चालक पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता (60 अंक) एवं अनुभव (40 अंक) के माध्यम से किया जाएगा।

अंको का वितरण निम्नानुसार होगाः–

(अ) न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता हेतु अंको का वितरण :–

45 प्रतिशत से कम अंक हेतु	–	15 अंक
45% या अधिक परन्तु 50% से कम अंक हेतु	–	20 अंक
50% या अधिक परन्तु 55% से कम अंक हेतु	–	25 अंक
55% या अधिक परन्तु 60% से कम अंक हेतु	–	30 अंक
60% या अधिक परन्तु 65% से कम अंक हेतु	–	35 अंक
65% या अधिक परन्तु 70% से कम अंक हेतु	–	40 अंक
70% या अधिक परन्तु 75% से कम अंक हेतु	–	45 अंक
75% या अधिक परन्तु 100% से कम अंक हेतु	–	50 अंक

(ब)

10वीं उत्तीर्ण होने पर	–	05 अंक
12वीं उत्तीर्ण होने पर	–	05 अंक

(स) **अनुभव हेतु 40 अंको का वितरण :–**

अनुभव हेतु अंकों का वितरण राज्य शासन के किसी भी विभाग या शासकीय उपक्रम में संविदा/कलेक्टर दर पर वाहन चालक के पद पर कार्यानुभव है, उन्हें निम्नानुसार अनुभव होने पर अंक दिया जावेगाः–

क्र.	अनुभव	अंक
1	1 वर्ष या अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम अनुभव	10
2	2 वर्ष या अधिक परन्तु 3 वर्ष से कम अनुभव	20
3	3 वर्ष या अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम अनुभव	30
4	5 वर्ष या अधिक अनुभव	40

उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल 100 अंकों में से प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची बनायी जावेगी।

(ii) लाईट मोटर व्हीकल चलाने के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी। जिसमें सफल होना अनिवार्य है। सफल नही होने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जवेगा।

(iii) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(iv) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को होगा।

(v) चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vi) चयनित उम्मीद्वार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।

(vii) चयनित उम्मीद्वार का चारित्रिक सत्यापन उनकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् पुलिस से कराया जायेगा और पुलिस से सेवा अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(viii) चयनित उम्मीद्वार की पदस्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी की जा सकती है।

(ix) चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

(7). अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी –

प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

(8). आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र :–

1. 8वीं की अंकसूची की स्व–सत्यापित प्रति
2. 10वीं/12वीं उत्तीर्ण होने पर 10वीं/12वीं की अंकसूची की स्व–सत्यापित प्रति
3. जन्म तिथि के सत्यापन हेतु जन्म तिथि अंकित प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति
4. मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति
5. जाति प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति
6. आयु सीमा में छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति
7. आवेदक यदि शासकीय/अर्धशासकीय कर्मचारी है तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र

(9). आवेदन की प्रक्रिया :–

आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही **मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)** के नाम से किया जावे। प्रारूप ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पोर्टल (http://cg.nic.in/resworks) या शासकीय पोर्टल (http://cg.state.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र में उपरोक्त प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा (9 x 4') संलग्न करें। इनके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार किया जावेगा और इस संबंध में कार्यालय द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा। आवेदन अंतिम तिथि **14.07.2017** तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से अथवा व्यक्तिगत् रूप से सीधे ज़मा कर सकते हैं। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से भेजने पर निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने पर कार्यालय जवाबदार नहीं होगा।

(10). उपरोक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियाँ, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेंगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(एस.के.गुप्ता) 21/6/17
मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
विकास भवन, सिविल लाईन
रायपुर (छ.ग.)

पासपोर्ट साईज के स्व–सत्यापित फोटो

विषयः–वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन।

संदर्भः–विज्ञापन क्रमांक 3184/3052(2)/वि–3/ग्रा.यां.सेवा/2017, रायपुर, दिनाँक 24.06.2017.

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : .....

   (अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में) : .....

2. पिता/पति का नाम : .....

3. लिंग : .....

4. जन्म तिथि (अंको में) : .....

   (शब्दों में) : .....

5. आयु (01.01.2017 की स्थिति में) : .....वर्ष.....माह.....दिन

6. वर्ग (सामान्य /अजा/अजजा/अपिवर्ग) : .....

   आरक्षित वर्ग का होने की स्थिति में :

   (i) जाति प्रमाण पत्र जारीकर्त्ता का पदनाम : .....

   (ii) जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक/दिनाँक : .....

7. स्थायी पता (पिन कोड सहित) : .....

   .....

   पिन नंबर .....

8. पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित) : .....

   .....

   पिन नंबर .....

9. दूरभाष /मोबाईल नंबर : .....

10. शैक्षणिक योग्यता :

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड	संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्राप्तांको का प्रतिशत्
1.						
2.						
3.						

11. आँख की दृष्टि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र का विवरण :–

(अ) नाम / पद नाम :.....

(ब) क्रमांक / दिनाँक : .....

13. नियमित पद पर कार्यरत् हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक / दिनाँक :.....

14. विवाहित है अथवा अविवाहित : .....
(यदि विवाहित है तो विवाह का दिनाँक)

15. विवाहित होने की स्थिति में :–

(i) शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम् आयु से पूर्व विवाह नहीं करने तथा दो से अधिक जीवित संतान नहीं है, का प्रमाण–पत्र और यदि है तो उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या पश्चात् नहीं हुआ है, का प्रमाण–पत्र नोटरी से प्रमाणीकरण कराकर संलग्न करें। : .....

(ii) विवाह के समय आयु – आवेदक का : .....

पत्नी / पति का : .....

(iii) जीवित संतानों की संख्या : .....

(iv) जीवित प्रथम संतान की जन्म तिथि : .....

(iv) जीवित द्वितीय संतान की जन्म तिथि : .....

16. आपके विरूद्ध देश अथवा प्रदेश के किसी भी पुलिस थाना में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, का प्रमाण पत्र नोटरी से प्रमाणीकरण कराकर संलग्न करें। : .....

संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रति की सूची :–

(नियम एवं शर्तो में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न किए जाएँ)

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

स्थान : .....

दिनाँक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त/नियमानुसार कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान : .....

दिनाँक .....

आवेदक के हस्ताक्षर